"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 मार्च 2018—फाल्गुन 25, शक 1939

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2018

क्रमांक एफ 2-2/2018/1-8.—वित्त तथा योजना विभाग के आदेश क्रमांक 286/ब-4/चार/2014 दिनांक 30-05-2014 द्वारा श्री सुनिल कुमार, आई.ए.एस. (से.नि.) को राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

इस विभाग के आदेश क्रमांक 1369/2014/1-8 दिनांक 23 जून 2014 द्वारा श्री सुनिल कुमार, उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग, रायपुर को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सलाहकार, निवेश प्रोत्साहन, छत्तीसगढ़ शासन, नई दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.

राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सुनिल कुमार, उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग एवं सलाहकार निवेश प्रोत्साहन, छत्तीसगढ़ शासन को अपने वर्तमान दायित्वों के साथ माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के सलाहकार का अतिरिक्त दायित्व सौंपता है.

माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में श्री सुनिल कुमार के दायित्व निम्नानुसार है :—

1. चालू योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों का समवर्ती मूल्यांकन और उनसे संबंधित सुझाव.

2. नए कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए पहल और नए विचारों को नीतिगत आवरण दिये जाने के लिए सलाह.

3. कार्यक्रमों की प्राथमिकताओं तथा आर्थिक एवं सामाजिक पहलुओं पर रणनीतिक एवं व्यावहारिक सलाह.

4. नवाचार को प्रोत्साहन करने बाबत् सलाह.

5. अन्य ऐसे दायित्व जो कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, मुख्य सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2017

क्रमांक एफ 7-53/2016/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 19-9-2016 द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 की सारणी क्रमांक 3-सा-10 की कंडिका 47 में कालम क्रमांक-2 में उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	सारणी का क्रमांक	भूमि उपयोग परिक्षेत्र	सारणी के कालम-03-सा-10 की कंडिका 47 के कालम-2 में उपांतरण किया जाए
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	03-सा-10 की कंडिका 47 के कालम-2	एम. आर.-35	एक्सप्रेस-वे.

2. एक्सप्रेस-वे अर्थात इस मार्ग के दोनों ओर स्थित भूमि पर मार्ग से समन्वय करते हुए कोई विकास अनुज्ञा/भवन अनुज्ञा जारी नहीं किया जा सकेगा.

3. उक त प्रस्तावित उपांतरण एक्सप्रेस-वे प्रयोजन हेतु.

4. सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि के भीतर प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् विचारोपरांत अमान्य करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 23 जनवरी 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक/870/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कोरबा	कटघोरा	हुँकरा	0.672 हे.	कटघोरा बायपास सड़क निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 07-02-2018 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन हुंकरा नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	कटघोरा बायपास सड़क निर्माण हेतु.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	13 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	13 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 3306.00 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	सड़क निर्माण हो जाने से विकासखण्ड कटघोरा एवं पोड़ी उपरोड़ा के निवासियों के लिए आवागमन हेतु सुविधा मिलेगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	परियोजना से कटघोरा एवं पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के निवासियों को आवागमन की अच्छी सुविधा प्राप्त होगी.

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 23 जनवरी 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक/881/क/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	करतला उप तह. बरपाली	देवलापाठ	0.032 हे.	मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत चिचोली माइनर निर्माण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 16-02-2018 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन देवलापाठ नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत चिचोली माइनर निर्माण.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	492.31 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	सिंचाई हेतु.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु कार्यपालन अभियंता हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग जांजगीर द्वारा राशि 5.00 लाख का भुगतान ड्राफ्ट क्रमांक 037115 दिनांक 08-01-2018 के माध्यम से जमा किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक.

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 23 जनवरी 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक/887/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	जेंजरा	0.699 हे.	कटघोरा बायपास सड़क निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 07-02-2018 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन जेंजरा नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	कटघोरा बायपास सड़क निर्माण हेतु.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	18 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	18 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 3306.00 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	सड़क निर्माण हो जाने से विकासखण्ड कटघोरा एवं पोड़ी उपरोड़ा के निवासियों के लिए आवागमन हेतु सुविधा मिलेगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	परियोजना से कटघोरा एवं पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के निवासियों को आवागमन की अच्छी सुविधा प्राप्त होगी.

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 23 जनवरी 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक/887/क/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	करतला उप तह. बरपाली	सोहागपुर	0.162 हे.	मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत सोहागपुर वितरक नहर के मौहाडीह माइनर निर्माण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 21-02-2018 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन सोहागपुर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत सोहागपुर वितरक नहर के मौहाडीह माइनर निर्माण.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	03
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	492.31 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	सिंचाई हेतु.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु कार्यपालन अभियंता हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग जांजगीर द्वारा राशि 5.00 लाख का भुगतान ड्राफ्ट क्रमांक 037116 दिनांक 08-01-2018 के माध्यम से जमा किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक.

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मो. कैसर अब्दुल हक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जगदलपुर, दिनांक 27 जनवरी 2018

क्रमांक क/भू-अर्जन/01/अ-82/2016-17.—भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 (2) के तहत यह घोषित किया जाता है कि ग्राम बड़े किलेपाल, तहसील-बास्तानार की निजी भूमि अर्जन से प्रभावित, खातेदार/परिवार को निम्नानुसार पुनर्वास लाभ प्राप्त होगा :—

क्र.	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी के अवयव	क्या उपलब्ध कराया गया है, यदि उपलब्ध कराया गया है, तो ब्यौरा दें
(1)	(2)	(3)
01.	विस्थापन की दशा में मकान इकाइयों की व्यवस्था	लागू नहीं होता.
02.	भूमि के लिए भूमि	लागू नहीं होता.
03.	विकसित भूमि के लिए प्रस्थापना	लागू नहीं होता.
04.	वार्षिक या नियोजन का विकल्प	छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश क्रमांक एफ-7-4/सात-1/2015/दिनांक 29-08-2016 में निहित निर्देश/प्रावधान अनुसार भू-अर्जन अधिनियम 2013 की अनुसूची "दो" की कण्डिका-4 का लाभ पात्र प्रभावित खातेदार/परिवार को प्राप्त होगा.
05.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान.	लागू नहीं होता.
06.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	लागू नहीं होता.
07.	पशु बाड़ा/छोटी दुकान खर्च	लागू नहीं होता.
08.	कारीगरों छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एक बार अनुदान.	लागू नहीं होता.
09.	मछली पकड़ने का अधिकार	लागू नहीं होता.
10.	एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	लागू नहीं होता.
11.	स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस	लागू नहीं होता.

2. तद्अनुसार आज दिनांक /01/2018 को यह घोषणा पत्र जारी किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 16 अक्टूबर 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2014-15.— उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग रायगढ़ द्वारा ग्राम-झलमला, प.ह.नं.-09, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ की निजी भूमि कुल रकबा 1.368 हे. केलो परियोजना अंतर्गत झलमला माईन नहर केलो परियोजना रायगढ़ निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-11 (1) की अधिसूचना तथा धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमश दिनांक 01-05-2015 तथा दिनांक 22-07-2016 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग रायगढ़ के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु सम्मिलित उक्त भूमि से खसरा नं. 7/14, 15/14 रकबा 0.032 हे. भूमि नहर में प्रभावित नहीं होने के फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा-93 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-झलमला

क्र. (1)	खसरा नं. (2)	रकबा हे. में (3)
1.	7/14, 15/14	0.032
	कुल खसरा - 01	**कुल रकबा 0.032 हे.**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 अक्टूबर 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2014-15.— उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग रायगढ़ द्वारा ग्राम-छातामुड़ा, प.ह.नं.-06, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ की निजी भूमि कुल रकबा 0.680 हे. केलो परियोजना अंतर्गत नन्हाईडीपा माईनर नहर केलो परियोजना रायगढ़ निर्माण हेतु भू-अर्जन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-11 (1) की अधिसूचना तथा धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमश दिनांक 01-05-2015 तथा दिनांक 22-07-2016 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग रायगढ़ के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु सम्मिलित उक्त भूमि से खसरा नं. 616/9 रकबा 0.061 हे. भूमि नहर में अधिनियम की धारा 11 (1) एवं धारा 19 की घोषणा में प्रकाशित नहीं होने के फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा-93 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-छातामुड़ा

क्र. (1)	खसरा नं. (2)	रकबा हे. में (3)
1.	616/9	0.061
	कुल खसरा - 01	**कुल रकबा 0.061 हे.**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चंदन संजय त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बस्तर, दिनांक 27 जनवरी 2018

क्रमांक/क/भू-अर्जन/01/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-बास्तानार
- (ग) नगर/ग्राम-बड़े किलेपाल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.13 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1311	0.15
	635/1/म	0.64
	1346	0.04
योग	03	0.83

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, तोकापाल तथा मुख्य अभियंता (निर्माण) पूर्वी तट रेल्वे विशाखापट्नम के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

धमतरी, दिनांक 25 जनवरी 2018

प्रकरण क्रमांक 758/01/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम-साल्हेभाठ
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.56 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	25	0.04
	83	0.02
	62	0.17
	68	0.04
	79	0.01
	69	0.12
	77	0.02
	78	0.07
	85	0.02
	88	0.03
	89	0.02
योग	11	0.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पनवई नाला व्यपवर्तन बोरसी माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नगरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 25 जनवरी 2018

प्रकरण क्रमांक 760/01/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम-करैहा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.46 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	153/1	0.08
	153/2	0.15
	153/3	0.06
	155/4	0.15
	156	0.02
योग	05	0.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-करैहा व्यपवर्तन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नगरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

बिलासपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2017

क्रमांक/12875/न.ग्रा.नि./2017.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 के अनुसरण में गनियारी निवेश क्षेत्र का वर्तमन भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 1006, बिलासपुर दिनांक 22-02-2017 द्वारा किया गया था.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्व-साधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट गनियारी निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तद्नुसार सम्यक रूप से अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

उत्तर में : ग्राम लमेर, भाड़म एवं घुटकू ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम घुटकू, देवरीकला, भरनी एवं खजुरी ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम खजुरी, चोरभट्ठीखुर्द, चोरभट्ठीकला, बेलटुकरी, घोंघा, नेवरा, भरारी एवं मोहनभाठा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम मोहनभाठा, पथर्रा, भौवाकापा भुण्डा नेवरा एवं लमेर ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, नया कम्पोजिट बिल्डिंग, बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.).

No. 12875/न.ग्रा.नि./2017.— The existing land use map and register for the Ganiyari Planning Area Existing land use map and Register was published under Sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) vide Notice No. 1006 date 22-02-2017 of Bilaspur.

Therefore, a notice is hereby given for general information of the public that the Existing Land use map and Register of Ganiyari Planning Area Existing land use map and Register so prepared and published are duly adopted by the Joint Director Town & Country Planning, under the Provision of sub-section (3) of section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent of its publication in Chhattisgarh Gazette. Under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above map and register have been duly prepared and adopted on date.

SCHEDULE

NORTH	:	Village Lamer, Bhadam and upto the North limit of Ghutku.
EAST	:	Village Ghutku, Devrikala, Bharni and upto the East limit of Khajuri.
SOUTH	:	Village Khajuri, Chorbhatthikhurd, Chorbhatthikala, Beltukri, Ghongha, Nevra, Bharari and upto the South limit of Mohanbhatha.
WEST	:	Village Mohanbhata, Patharra, Bhauvakapa, Bhunda, Nevra and upto the West limit of Lamer.

The said adopted map and Register shall be available for inspections of general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

Inspection Site : Office of the Joint Director, Town & Country Planning New Composite Building, Collectorate Premises Bilaspur.

संदीप बांगड़े,
संयुक्त संचालक.

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 9 नवम्बर 2017

क्रमांक 1821/नग्रानि/2017.—छ.ग. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांक-4085/3321/2017/32 नया रायपुर दिनांक 31-10-2017 द्वारा सारंगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं पुनर्गठित किये जाने के फलस्वरूप कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़ के पत्र क्र. 128 नग्रानि/09 रायगढ़ दिनांक 23-01-2014 द्वारा छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन सारंगढ़ निवेश क्षेत्र जिला रायगढ़ की प्रकाशित वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र अनुसूची-दो में निम्नानुसार पुनर्गठित सीमाएं निर्धारित की जाती है :—

अनुसूची-दो

सारंगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम खम्हारडीह, पचपेढ़ी, उधरी, कोतरी एवं ग्राम बासिनबेहरा की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम बासिनबेहरा, साराडीह, झारपाली, उम्मेदपुर एवं ग्राम बीजेपुर की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम बीजेपुर, बरदहरा, चंवरपुर, सारंगढ़, भेजनार, जुनाडीह एवं ग्राम चन्दाई की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम चन्दाई, दुर्गापाली, कुटेला एवं ग्राम खम्हारडीह की पश्चिमी सीमा तक.

रायगढ़, दिनांक 9 नवम्बर 2017

क्रमांक 1823/नग्रानि/2017.—छ.ग. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांक-4085/3321/2017/32 नया रायपुर दिनांक 31-10-2017 द्वारा सारंगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं पुनर्गठित किये जाने के फलस्वरूप कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़ के पत्र क्र. 823 नग्रानि/09 रायगढ़ दिनांक 22-05-2014 द्वारा छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (4) के तहत सारंगढ़ निवेश क्षेत्र जिला रायगढ़ की अंगीकृत वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र अनुसूची-दो में निम्नानुसार पुनर्गठित सीमाएं निर्धारित की जाती है :—

अनुसूची-दो

सारंगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम खम्हारडीह, पचपेढ़ी, उधरी, कोतरी एवं ग्राम बासिनबेहरा की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम बासिनबेहरा, साराडीह, झारपाली, उम्मेदपुर एवं ग्राम बीजेपुर की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम बीजेपुर, बरदहरा, चंवरपुर, सारंगढ़, भेजनार, जुनाडीह एवं ग्राम चन्दाई की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम चन्दाई, दुर्गापाली, कुटेला एवं ग्राम खम्हारडीह की पश्चिमी सीमा तक.

आर. एन. प्रसाद,
उप-संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 18th January 2018

No. 17/Confdl./2018/II-3-1/2018.—The following Senior Civil Judges, as specified in Column No. (2) of the table below, are hereby transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date they assume charge of their offices :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Jagmohan Shankar Patel, II Civil Judge Class-I.	Bilaspur	Akaltara	Janjgir-Champa	Civil Judge Class-I
2.	Smt. Kiran Thawait, Secretary, District Legal Services, Authority.	Kawardha	Durg	Durg	IV Civil Judge Class-I.
3.	Shri Shailesh Sharma, Secretary, District Legal Services, Authority.	Bilaspur	Raipur	Raipur	II Civil Judge Class-I
4.	Smt. Chhaya Singh, Civil Judge Class-I.	Akaltara	Bilaspur	Bilaspur	II Civil Judge Class-I

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Shri Vivek Garg, Secretary, District Legal Services Authority.	Raigarh	Raigarh	Raigarh	I Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-I, Raigarh.
6.	Shri Devendra Sahu, Secretary, Deistrict Legal Services, Authority.	Baloda Bazar	Durg	Durg	V Civil Judge Class-I

Bilaspur, the 18th January 2018

No. 19/Confdl./2018/II-3-1/2018.—The following Civil Judges Class-II as mentioned in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Ku. Sweta, Secretary, District Legal Services Authority.	Jagdalpur	Raipur	Raipur	X Civil Judge Class-II
2.	Dr. Sumit Kumar Soni, Secretary. District Legal Services Authority.	Balod	Raipur	Raipur	I Civil Judge Class-II
3.	Ms. Shubhda Goyal, Secretary District Legal Services Authority.	Janjgir-Champa	Durg	Durg	IV Civil Judge Class-II.
4.	Ku. Reshma Bairagi, Secretary, District Legal Services, Authority.	Surajpur	Surajpur	Surajpur	I Civil Judge Class-II
5.	Ku. Mayura Gupta, Secretary, District Legal Service Authority.	Koriya (Baikunthpur)	Durg	Durg	V Civil Judge Class-II
6.	Ku. Mrinalini Katulkar, Civil Judge Class-II.	Mungeli	Janakpur	Koriya (Baikunthpur)	Civil Judge Class-II
7.	Ku. Namrata Norge, II Civil Judge Class-II.	Jagdalpur	Raipur	Raipur	V Civil Judge Class-II

Note :— The Registry order No. 1273/Confdl./2017/II-3-1/2017 dated 12-12-2017, so for it relates to the transfer of Shri Satyanand Prasad, XI Civil Judge Class-II, Raipur as Civil Judge Class-II, Janakpur and Ku. Namrata Norge, II Civil Judge Class-II, Jagalpur as XI Civil Judge Class-II, Raipur is hereby cancelled.

Bilaspur, the 19th January 2018

No. 22/Confdl./2018/II-3-1/2018.—The following candidates as mentioned in Column No. (2), appointed on probation as Civil Judge (Entry Level) in the Cadre of Chhattisgarh Lower Judicial Service by the State Government, are posted in the capacity as mentioned against their names in Column No. (3) of the table below with a direction to join their place of posting on or before 01-02-2018 :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	Posted as (3)
1.	Ku. Satpreet Kour Chhabra, D/o Shri Surendra Singh Chhabra	I Civil Judge Class-II, Bilaspur
2.	Shri Dwujendra Nath Thakur S/o Shri Avanindra Nath Thakur	II Civil Judge Class-II, Bilaspur
3.	Shri Avinash Kumar Dubey, S/o Shri Awadesh Dubey	VI Civil Judge Class-II, Raipur
4.	Ku. Ankita Kaushik, D/o Shri Dwarka Prasad Kaushik	VI Civil Judge Class-II, Durg
5.	Ku. Priya Rajak, D/o Shri Chaman Lal Rajak	III Civil Judge Class-II, Rajnand-gaon.
6.	Shri Girivar Singh Rajput, S/o Shri Arjun	I Civil Judge Class-II, Janjgir
7.	Shri Ravi Kumar Mahobia, S/o Shri Shiv Kumar Mahobia	II Civil Judge Class-II, Raigarh
8.	Ku. Gayatri Bai, D/o Shri Sarwan Sai	IV Civil Judge Class-II, Ambikapur
9.	Shri Abhinav Dahariya, S/o Shri A. L. Dahariya	I Civil Judge Class-II,Dhamtari
10.	Ku. Akanksha Thakur, D/o Shri Anuj Ram Dhruw	Civil Judge Class-II, Kanker
11.	Ku. Prerna Ahire D/o Shri Melaram Ahire	I Civil Judge Class-II, Jagdalpur
12.	Shri Ravi Kumar Kashyap, S/o Shri Ramratan Kashyap	II Civil Judge Class-II, Jagdalpur
13.	Ku. Akansha Beck, D/o Shri Ranveer Beck	Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raigarh.
14.	Shri Damodar Prasad Chandra, S/o Shri Ramadhin Chandra	II Addi. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Korba.
15.	Ku. Payal Topno, D/o Shri Alexander Topno	II Civil Judge Class-II, Janjgir
16.	Shri Narendra Kumar Tendulkar, S/o Shri Santosh Das Tendulkar	Civil Judge Class-II, Kawardha
17.	Ku. Preeti, D/o Shri P. R. Nagwanshi	III Civil Judge Class-II, Jagdalpur
18.	Shri Rakesh Singh Sori, S/o Shri Dushyant Singh Sori	V Civil Judge Class-II, Jagdalpur
19.	Smt. Soni Tiwari, W/o Shri Vinay Kumar Tiwari	I Civil Judge Class-II, Mahasamund

Bilaspur, the 19th January 2018

No. 24/Confdl./2018/II-3-1/2018.—The following Member of Lower Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, is hereby, assigned additional Charge of the Court as mentioned in Column No. (3) until further orders :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	Additional Charge (3)
1.	Shri Gitesh Kumar Kaushik, II Civil Judge Class-I, Korba	Labour Court, Korba

Bilaspur, the 19th January 2018

No. 28/Confdl./2018/II-2-4/2002 (Part-II).—The following Judicial Officer of Higher Judicial Service, as specified in column No. (2) of the table below, in whose favour a certificate was issued vide Registry order No. 588/Confdl./2015/II-2-4/2002 dated 06-08-2015, is hereby, confirmed in Higher Judicial Service from the date mentioned in column No. (3) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Date of Confirmation (3)
1.	Smt. Girija Devi Meravi	31-08-2017

Bilaspur, the 19th January 2018

No. 30/Confdl./2018/II-3-2/2002 (Part-II).—The following Judicial Officers of Lower Judicial Service, as specified in column No. (2) of the table below, in whose favour a certificate was issued vide Registry order Nos. 228/Confdl./2016/II-3-2/2002 (Pt.-II) dated 18-03-2016 and 1061/confdl./2017/II-3-2/2002 (Pt.-II) dated 21-09-2017, are hereby, confirmed in Lower Judicial Service from the date mentioned in column No. (3) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Date of Confirmation (3)
1.	Smt. Manisha Thakur	31-08-2017
2.	Shri Vyankatesh Singh	09-11-2017

Bilaspur, the 23rd January 2018

No. 36/Confdl./2018/II-2-1/2018.—The following Member of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2) of the table below, is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted as District Judge from the date he assumes charge of his office and;

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Sessions Judge of the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

Sl. No.	Name & presently posted as	From	To	Sessions Division	Posted as
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Shri Ashok Kumar Lunia, Legal Advisor, Chhattisgarh Lok Ayog.	Raipur	Balrampur at Ramanujganj	Balrampur at Ramanujganj	District & Sessions Judge.

By order of the High Court,
GAUTAM CHOURADIYA, Registrar General.